

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी शिव

राईसिट पुत्र भंवरसिंह बनावत राणासिंह पुत्र खंगारसिंह
 गौरा (14) राजपूत के वारिस गौरा (9)
 नि० हाथीसिट का गांव
 तहसील शिव

राजस्व आवेदन 212 किस्म मुकदमा RTA अ. मुकदमा नम्बर 239/15

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-10-15	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री चेतनराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 RTA राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-संजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रस्विवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मत्र तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22-12-15 को पेश हो।</p> <p>स्थगन प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थीगण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया पक्ष प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र जारी तौर से स्वीकार किया जाकर ग्राम रतनुओं की ढाणी तहसील शिव की खसरा नम्बर 733 रकबा 152-00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में जागामी पेशी तिथि तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध बेचान या अन्य विधि से हस्तांतरण नहीं किये जाने के आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन के विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22-12-15 को पेश हो।</p>	



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11.9.25

पत्रावली पेशा वातुलाय अनुपस्थित।
पत्रावली में उमावी पैरवी हेतु न्यायालय
समय में उाची व वातुलाय के दफ्तर
सककर आवाने ही जाने के बावजूद
अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई उमावी
पैरवी नहीं होने तथा उाची व वातुलाय के
अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदालत
द्वारा व अदालत पैरवी में खारिज किया
जाया है।

पत्रावली नम्बर से उक्त दफ्तर
दाखिल दफ्तर है।

हुक्म
में जारी

सेवा में